भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 219

01.12.2025 को उत्तर के लिए

219. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनेक स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और कोरल खतरे/गंभीर रूप से संकटापन्न स्थिति में हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास खतरे में/गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई योजना है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मॉनीटर लिजर्ड्स (गोधिका) असुरक्षित / खतरे में या लुप्तप्राय की श्रेणी में मानी जाती है, यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मॉनिटर लिज़र्ड्स भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या ऐसे किसी दूसरे कानून के तहत संरक्षित किये गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को पिछले दस वर्षों और इस वर्ष में महाराष्ट्र सरकार या किसी संसद सदस्य से इस संबंध में कोई प्रस्ताव या अनुरोध मिला है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्यजीवों को शिकार से संरक्षण प्रदान करता है। वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची । में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त होता है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) इनके संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर', 'प्रोजेक्ट एलीफैंट', 'प्रोजेक्ट लायन', 'प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड', प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट चीता', 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' जैसे विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं।

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को वन्यजीवों के प्रबंधन और उनके पर्यावास के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावास विकास' और 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफैंट' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावास विकास' के अंतर्गत 'गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए 'पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' का एक विशिष्ट घटक

प्रदान किया गया है, ताकि चिन्हित 24 गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों पर केंद्रित होकर संरक्षण के लिए कार्रवाई की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पारिस्थितिकी विकास कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचित किए जाते हैं।

(vi) संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(vii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर निवारक कार्रवाई के लिए परामर्शी और अलर्ट जारी किए जाते हैं।

(viii) वन्यजीवों की निगरानी, अवैध घुसपैठ का पता लगाने और मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सूचना देने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में कैमरा ट्रैप, ड्रोन, वायरलेस, ई-निगरानी आदि जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

(ग) से (च) मॉनिटर लिज़र्डस की चार प्रजातियां अर्थात बंगाल मॉनिटर (वरनस बंगालेंसिस), डेजर्ट मॉनिटर (वरनस ग्रिसियस), वाटर मॉनिटर (वरनस साल्वेटर) और येलो मॉनिटर (वरनस फ्लेवेसेंस) को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची । में सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय को समय-समय पर जनप्रतिनिधियों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त होते हैं। मंत्रालय द्वारा ऐसे अनुरोधों/ज्ञापनों की जाँच मौजूदा नीतियों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसार की जाती है।

***